कार्यपालक अभियंता(याँ०) का कार्यालय
सिंचाई विद्युत–सह–याँत्रिक प्रमण्डल, पटना।

E-mail ID:-eeiemdpatna@gmail.com

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या (NIQ)–01/2026–27

पत्रांक ..../पटना   दिनांक ..../.........../2026

सिंचाई विद्युत–सह–यांत्रिक प्रमण्डल, पटना के अंतर्गत प्रमंडलाधीन योजनाओं के गहन अनुश्रवण एवं नहरों/बराज/अवर प्रमंडलों/प्रशाखाओं के अंतर्गत नहर गेट/निरीक्षण तथा विद्युतीय कार्य एवं उच्चाधिकारियों की बैठकों में भाग लेने इत्यादि कार्यों हेतु भाडें पर **वितीय वर्ष 2026-27 मे दिनांक 31 मार्च 2027 तक** दो वाहन (कार्यपालक अभियंता (या0)/सहायक अभियंता (या0)) (वाणिज्य निबंधन सहित) (बोलेरो/स्कॉर्पियों/समकक्ष/) .के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन ईच्छुक वाहन मालिको/फर्म से अल्पकालीन कोटशन आमंत्रित किया जाता है, जिसे मुहरबंद लिफॉफे में दिनांक 11.04.2026 को 03.00 बजे अपराह्न तक सिंचाई विद्युत–सह–यांत्रिक प्रमण्डल, पटना कार्यालय में जमा किया जायेगा और उसी दिन 03.30 बजे अपराह्न में खोला जाएगा। कोटेशनदाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खुलने के समय उपस्थित रहेगें।

कोटेशनदाता को दर निम्नाकित प्रपत्र में उद्वरित करना होगा।

कमसं0	वाहन का प्रकार	उद्वत दर	अभ्युक्ति

शर्तें निम्नवत् हैः–

1 भाड़े पर वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) विभागीय निदेशानुसार दिये गये अवधि तक के लिए लिया जायेगा। अवधि विस्तार की स्थिति में एकरारित दर पर हीं वाहन को आगे के लिए रखा जायेगा। व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।

2 वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी साप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। चालक के वेतन का भुगतान, आवासान एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा हीं किया जायेगा।

3 वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) के भुगतान पर नियमानुसार सभी प्रकार के करों अर्थात जी0 एस0 टी0 आदि का भुगतान वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता के स्वयं करना होगा एवं अन्य शुल्क अदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। विभाग द्वारा किसी प्रकार का कर का भुगतान नहीं किया जायेगा।

4 वाहन का कागजात टैक्स, fastag, बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए एवं वाहन का वैध निबंधन पत्र, बीमा रोड़ टैक्स एवं प्रदुषण प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा एवं वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए। वैध GST एवं PAN CARD निबंधन होना अनिवार्य है।

5 वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।

6 वाहन के उपयोग के विरूद्व किराया प्रतिदिन ईंधन रहित देय होगा।

7 वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) का (ईधन रहित एवं चालक सहित) प्रतिमाह का न्यूनतम दर के कोटशन वाहनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हे वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है।

8 वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रति लिटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।

9 वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता निजि अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नहीं करेंगे।

10 वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) का उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक /फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरन्त दुसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाडें का भुगतान दोगुने दर से कटौती कर ली जायेगी। इच्छुक वाहन मालिक/फर्म का उक्त क्रमांक 01 से 09 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 04 से संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेंगे।

11 एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर दिनांक 11.04.2026 को 3:30 बजे अपराह्न में वैध कोटेशन वाहनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा। शपथ पत्र एवं वाछिंत कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जाएगा।

12 वाहन का (ईंधन रहित एवं चालक सहित) प्रतिमाह (सभी करों के साथ) कोटेशन समर्पित करेंगे जो किसी भी परिस्थिति में संबंधित जिला प्रशासन के द्वारा स्वीकृत दर से अधिक नहीं होगा।

13 वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) के उपयोग के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन मालिक के जबावदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।

14 पटना समाहरणालय जिला नजारत शाखा के ज्ञापांक 2207 दिनांक 22.07.2025 द्वारा बोलेरों/स्कार्पियों के निविदत्त दर रु 31900.00 (एकतीस हजार **नौ सौ** रुपये) से अधिक उद्वत किया गया दर मान्य नहीं होगा।

15 वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) 31 मार्च 2027 तक भाड़े पर रखने के लिए एकरारनामा किया जाएगा तथा एकरारित अवधि के दौरान वाहन का उपयोगं वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी निजी कार्य में नहीं किया जाएगा।

16 अधोहस्ताक्षरी के निदेश पर एकरारित अवधि में गाड़ी का अच्छे **ढंग से रखने पर एकररनाम**ा की अवधी बढाई जा सकती है।

17 कोई अन्य जानकारी कार्यालय में सम्पर्क कर अथवा कार्यालय सूचना पटट् के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

18 वाहन का मॉडल 2017 से पहले का नहीं होना चाहिए एवं अच्छे हालात में होना चाहिए।

01/04/26
कार्यपालक अभियंता(याँ०)
सिंचाई विद्युत–सह–यांत्रिक प्रमण्डल, पटना।

पत्रांक 247/पटना दिनांक 01/04/2026

प्रतिलिपिः– सूचना पट्ट, सिंचाई विद्युत–सह–यांत्रिक प्रमण्डल, पटना।
अनु0–यथावत्

01/04/26
कार्यपालक अभियंता(याँ०)
सिंचाई विद्युत–सह–यांत्रिक प्रमण्डल, पटना।